खण्डः 3, अंकः 09

सितम्बर 2020

संश्लेषण

डी सी आर सी हिन्दी मासिक पत्रिका

भारतीय कृषि और कृषक
नीति, नीयत एवं नियति

UNIVERSITY OF DELHI

निष्ठा धृतिः सत्यम्

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केन्द्र

दिल्ली विश्वविद्यालय

मुख्य संपादक
प्रो. सुनील के चौधरी

संपादक
डा. रमेश भारद्वाज
नागेन्द्र कुमार
शरद कुमार यादव

संपादकीय मंडल
डा. अभिषेक नाथ
कुँवर प्रांजल सिंह
आशीष कुमार शुक्ल

© डीसीआरसी 2020

रूपाकंनः आर किशोर

संश्लेषण

भारतीय कृषि और कृषकः नीति, नीयत एवं नियति

अनुक्रमिका

संपादकीय		i-ii
1. भारतीय कृषि एवं नये कृषि अधिनियम	– राकेश रंजन	1–3
2. नई कृषि नीतिः संशय और संभावनाएं	– डॉ. मंगल देव	4–7
3. कृषि सुधार अधिनियम 2020: भारतीय कृषि एवं कृषकों का सूर्योदय	– सृष्टि	8–10
4. कृषिक सुधारः एक नई दिशा	– पंकज	11–14
5. कृषकों की भूमि पर राजनीति की कृषि	– डॉ० महेश कौशिक	15–18
6. देश की नवीन कृषि नीतिः क्या किसानो की आर्थिक समृद्धि संभव है?	– प्रियंका बारगल – हितेन्द्र बारगल	19–22
7. अहिंसा से हिंसा की ओरः भारत का कृषक वर्ग	– रजनी	23–26
8. नव उदारवादी भारतीय कृषि बाजारः एक अवलोकन	– शालिनी सिंह	27–30

सम्पादकीय

वर्ष 2020 के संश्लेषण के इस नवम अंक को पाठकों के समक्ष प्रेषित करते समय हमें एक बार पुनः अत्यन्त हर्ष एवं गर्व का आभास हो रहा है। अगस्त 2018 से शोध के समसामयिक विषयों से अपने पाठकों के मध्य एक अटूट संबंध बनाए रखना विकासशील राज्य शोध केन्द्र की एक मुख्य उपलब्धि रही है। निरंतरता की इस कडी में संश्लेषण का यह 26वां अंक केन्द्र से संबद्धित समस्त शोधार्थियों, शिक्षार्थियों एवं विद्यार्थियों को समर्पित है।

किसी भी अर्थव्यवस्था की विकासीय उन्मुखता उसकी कृषि की सुदृढ़ता पर आधारित होतो है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय अर्थव्यवस्था में जहाँ उद्योग को प्राथमिकता मिली, वहीं कृषि क्षेत्र की वरीयता निरंतर गौण होती चली गई। स्वातन्त्र्योत्तर भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई कृषि विकास रणनीतियों ने कृषि क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन तो अवश्य किये, किन्तु संरचनात्मक और आमूलचूल परिवर्तन करने में ये सरकारें विफल रहीं।

वर्ष 1991 से वैश्वीकृत युग में प्रथम भारतीय कृषि प्रारुप नीति ने इस क्षेत्र के विभिन्न वाद–विषयों को संबोधित भी किया लेकिन यह नीति इसकी आधारभूत समस्याओं एवं संकटों के समाधान के लिए पूर्णता सफल नहीं हो सकी। स्वतंत्रता के सात दशकों के पश्चात् भी भारतीय कृषि एवं कृषक में अत्याधिक असंतोष व्याप्त रहा है। 1990 के पश्चात् कृषकों की आत्महत्याऐं तथा उनकी दयनीय दशाऐं कृषि क्षेत्र में नव परिवर्तन के उद्घोष का एक नवीन संकेत प्रकट करती हैं।

वर्ष 2014 से भाजपा नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार ने कृषि जगत में विभिन्न आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास किया है। नव कृषि सुधार अधिनियम 2020 कृषि एवं कृषक के मध्य एक विशिष्ट संबंध एवं बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता के माध्यम से कृषि विकास के लिए नवीन पहल प्रतीत होत हैं किन्तु इसकी सफलता, सार्थकता एवं सक्षमता कृषि जगत से संबंद्ध गहन समस्याओं के समग्र समाधान पर ही निर्भर करेगी।

विषय की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र ने 'भारतीय कृषि और कृषकः नीति, नीयत एवं नियति' विषय पर लेख आमंत्रित किये। आठ उत्कृष्ट लेखों को सम्पादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में उल्लेखित हो रहे हैं। ये समस्त लेख मौलिक होने के साथ–साथ भारतीय कृषि क्षेत्र एवं कृषकों की विभिन्न

सरोकारों, समस्याओं एवं समाधानों को भी संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वतंत्र चिंतन पर आधारित लेखकों के विचार उनकी रचनात्मकता, सृजनात्मकता एवं मौलिकता को भी इंगित करते हैं।

वर्ष 2020 के संश्लेषण के इस सितम्बर माह के नवम अंक में प्रकाशित लेखों पर पाठकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर ही हम अक्तूबर माह के अपने दशम समसामयिक तथा महत्वपूर्ण अंक में और अधिक गुणात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे।

संपादक मंडल

शनिवार, 14 नवम्बर 2020

1

भारतीय कृषि एवं नये कृषि अधिनियम

राकेश रंजन

शोधार्थी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय

भारत प्राचीन समय से कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि कार्य कभी–भी बहुत लाभदायक व्यवसाय नहीं रहा है। साधारणतः कृषि कार्य सिर्फ जीवन निर्वाह का व्यवसाय प्रदान करता है। भारतीय जनसंख्या का करीब 45 प्रतिशत व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में संलग्न है तथा करीब 20 प्रतिशत जनसंख्या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में संलग्न है। परन्तु कृषि का भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में योगदान सिर्फ 15–16 प्रतिशत है। भारत की आजादी से लेकर वर्तमान समय तक कृषि कार्य में लगे लोगों की आय मात्र 21 गुणा बढ़ी है। जबकि सरकारी नौकरी करने वाले तथा संगठित क्षेत्र में काम करने वालों की आय 180 गुणा बढ़ी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कृषि कार्य समस्याओं से ग्रसित है। ये समस्याएँ हैं – परम्परागत कृषि व्यवस्था, कृषक का अशिक्षित होना, ऋणग्रस्तता, पूँजी का अभाव, सिंचाई का अभाव, उन्नत उर्वरक तथा बीज का अभाव, फसलों का उचित कीमतों का अभाव, कृषि उत्पाद के भण्डारण का अभाव, भारतीय कृषि का मानसून पर निर्भरता, अकाल और बाढ़ का प्रभाव इत्यादि। इन सब समस्याओं के कारण भारतीय किसान बड़े पैमाने पर कृषक से मजदूर में तब्दील रहे हैं तथा बहुत सारे कृषक आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं।

इन सब समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के द्वारा समय–समय पर किसानों के पक्ष में नीति एवं कानून बनाये गये परन्तु किसानों को इससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ। भारत में वर्तमान समय में 86 प्रतिशत किसान सीमान्त कृषक हैं। किसानों की मासिक औसत आय मात्र 6000 रुपये है। इस औसतन आय में भी राज्य स्तर पर अन्तर है। हरियाणा में औसतन किसानों मासिक आय 14000 प्रति माह है, जो देश में सबसे अधिक है। जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, राजस्थान के किसानों की औसतन आय मासिक 5000 से भी कम है।

इस कृषि समस्या को देखते हुए भारत की वर्तमान सरकार कृषि सुधार के नाम पर तीन कृषि कानून अधिनियम लायी है जो इस प्रकार है– प्रथम, "किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य

(संवर्धन और सुविधा) विधेयक "। इस कानून के तहत यह कहा गया है कि किसान कहीं भी जाकर अपना उत्पाद बेच सकता है। परन्तु किसानों को यह सुविधा तीन रूपों में पहले से उपलब्ध है। किसान अपने उत्पाद को स्थानीय स्तर पर बेच सकता है तथा दूसरे सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थित मूल्य पर सरकार को अपना उत्पाद बेच सकता है। इसके लिए सरकार समय–समय पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को 24 उत्पाद के लिए निर्धारित करती है, इसके लिए भारत सरकार भारतीय खाद्य नियम की स्थापना 1964 में किया गया है। इस व्यवस्था के तहत देश के कुल 6 प्रतिशत किसान अपने उत्पाद को न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत बेच पाते हैं। इसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर अनाज सड़ध्बर्बाद हो जाता है। सरकार के पास कृषि उत्पाद के भण्डारण के लिए गोदाम की कमी है। भारतीय खाद्य निगम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, जिसके कारण किसानों को बहुत प्रकार की परेशानी उठानी पड़ती है। 1955 में एक अधिनियम के द्वारा कृषि उत्पाद बाजार समिति (।च्डब्) के तहत बाजार स्थापित किया गया जो देश के अलग–अलग भागों में अलग–अलग नामों से जाना जाता है। इस मंडी का रख–रखाव सरकार करती है तथा इसमें बिचौलियों को सरकार द्वारा मान्यता दी जाती है तथा अनाजों का आगे का कारोबार करता है। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि किसानों को अपने अनाजों को बेचने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है और कहीं भी जाकर बेच सकता है परंतु 86 प्रतिशत किसान सीमांत किसान है जिनके अनाज को लाने–लेजाने का किराया कौन वहन करेगा?

दूसरी अधिनियम के रूप में "किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) विधेयक मूल्य आश्वासन" है। इसके तहत अनुबंध खेती के कार्य को सम्पादित किया जायेगा इसमें गरीब किसानों तथा उद्योगपतियों और पूँजीपतियों के बीच अनुबंध होगा। इस अनुबंध के तहत कृषि उपज का मूल्य उत्पादन से पहले ही निर्धारित किया जायेगा, इससें किसानों को फायदा हो सकता है परन्तु जब कृषि उपज के बाद अनाज का दाम बढ़ या घट जायेगा तो विवाद पैदा होगा उस स्थिति में विवाद के निपटारे की जिम्मेदारी "उप प्रभागीय न्यायाधीश (ैक्ड) तथा जिला अधिकारी (क्ड) को दिया गया, जो सरकार का कनिष्ट अधिकारी होता हो जो सरकार की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता है क्योंकि उसकी नियुक्ति तथा पद से हटाने की शक्ति सरकार के पास है। उद्योगपति एवं पूँजीपति इसे आसानी से अपने पक्ष में कर सकता है। इस प्रकार विवाद होने पर किसान हमेशा हानि का पक्षकार होगा, जिसे न्यायालय जाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को जारी रखने की बात तो कर ही है परन्तु इसे कानूनी नहीं बनाया गया है जिससे किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे के दामों पर बिक सकती है। इससे कृ षि व्यवस्था को भारी नुकसान की आशंका है।

तृतीय अधिनियम के रूप में "सेवा अधिनियम और आवश्यक वस्तुएं (संशोधन) अधिनियम" है इसके तहत आवश्यक वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाया गया है, जिससे असीमित जमाखोरी को कानूनी मान्यता मिल गयी है, जिससे बड़े–बड़े उद्यागपति एवं पूँजीपति बड़े स्तर पर आवश्यक कृषि उत्पाद को जमा करके बाजार में कृत्रिम अभाव पैदा कर सकते हैं तथा इससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू सकती है जिससे गरीबों और दीन–दुखियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जो भारत जैसे जनकल्याणकारी राज्य के लिए उचित नहीं जान पड़ता है।

उपर्युक्त तीनों अधिनियमों के द्वारा उद्योगपति एवं पूँजीपतियों को कृषि के उत्पाद को खरीदने–बेचने, जमा करने एवं अनुबंध कृषि करने का रास्ता प्रशस्त करता है जिससे कृषक को वैश्वीकरण के युग में बाजार के हवाले कर दिया गया। कृषक को लाभ और हानि के लिए बाजार पर निर्भर रहना पड़ेगा। साधारणतः वैश्विक युग में कृषि को बाजार के हवाले करने पर कृषक को हानि होती है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यूरोपीय तथा अमेरिकन कृषि व्यवस्था में देखा जा सकता है। यहाँ के कृषकों को बड़े पैमाने पर सरकार की तरफ से सहायता प्रदान की जा रही है, इससे वहाँ के किसानों की स्थिति अच्छी जान पड़ती है। यह व्यवस्था भारतीय किसानों के लिए भी होनी चाहिए। इस अधिनियम में कृषि सुधार एवं सिंचाई व्यवस्था पर कोई बात नहीं कही गयी है। इसे भारतीय कृषि के आधारभूत संरचना में सुधार होने की संभावना कम दिखाई देती है। भारतीय किसान इस अधिनियम के खिलाफ सर्वव्यापी कोरोना महामारी होने के बावजूद बड़ी संख्या में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का यह प्रदर्शन करीब–करीब समूचे देश में हो रहा है परन्तु पंजाब तथा हरियाणा के किसान ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं परन्तु भारतीय सरकार इस प्रदर्शन पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है।

इस अधिनियम से भारतीय किसानों को ज्यादा फायदा होने की संभावना नहीं है क्योंकि भारतीय कृषि आज भी मानसून पर आधारित है। आज भी कृषि सिंचाई और कृषि के आधारभूत संरचना पिछड़ी अवस्था में है, जिसे उन्नत करने की व्यवस्था नहीं की गयी है। इससे किसानों के फसल उत्पाद ज्यादा होने की संभावना कम है क्योंकि यह अधिनियम दो धारी तलवार की तरह है, जिससे वैश्विक बाजार के आधार पर किसानों की स्थिति निर्भर करेगा।

♦♦♦♦♦

2

नई कृषि नीतिः संशय और संभावनाएं

डॉ. मंगल देव

सहायक प्राध्यापक, कमला नेहरू महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। महात्मा गाँधी का मानना था कि भारत गावों से मिलकर बना है। जब तक गावों का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। भारत में गावों की आबादी का बहुत बड़ा भाग कृषि और उससे सम्बंधित गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए कृषि के विकास के बिना भारत के विकास की संकल्पना अधूरी है।

इस संकल्पना को पूर्ण करने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र के विकास और ग्रामीण स्तर पर विद्यमान विभिन्न प्रकार की असामनता को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई विधिक और संस्थागत कदम उठाये गए है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान केंद्र सरकार ने कृषि और कृषकों की दशा में सुधार एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु कई सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। किसानो की आय को 2022 तक दोगुनी करने के उद्देश्य से न केवल भारत सरकार बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विशेष रूप से प्रयासरत है, जिसके लिए भारत सरकार कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी कदम उठा रही है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसद द्वारा तीन कृषि विधेयक पास किया गया। जो इस प्रकार है–

1. कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य कानून–2020
2. मूल्य आश्वासन व कृषि सेवा कानून–2020
3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून–2020

उपरोक्त विधेयको को लेकर प्रमुख विपक्षी दल और कुछ कृषक संगठनों द्वारा यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि इस विधेयक के माध्यम से सरकार कृषि उत्पाद को बाजार पर छोड़ दिया। बाजार से सरंक्षण के उद्देश्य से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी नीति की शुरुवात हुई थी। जो अब अर्थहीन हो जाएगी। उद्द्योग व् सेवा क्षेत्र की तरह कृषि क्षेत्र भी निजी तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अधीन हो जायेगा।

ऐतिहासिक रूप से कृषि नीति और नियति का आँकलन किया जाए तो 2011 की जनगणना में कुल जनसँख्या का 54.6 प्रतिशत लोग कृषि कार्य से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए है। ग्रामीण भारत में निवास करने वाले 70 प्रतिशत लोगो की आय का साधन व् रोजगार का आधार कृषि है। जी. डी. पी. में कृषि क्षेत्र का योगदान वर्ष 1950–51 में 51.8 प्रतिशत था, वह आज वर्ष 2018–19 में घटकर 16 प्रतिशत रह गया है। भारतीय किसानों के लिए कृषि केवल आय का साधन नहीं बल्कि जीविका का माध्यम भी है। इस प्रकार सरकार की कोई भी नीति और कृषि सम्बन्धी विधि का प्रभाव किसानों की जीविका पर पड़ता है।

1991 की नई आर्थिक नीति में नियोजित अर्थव्यवस्था के स्थान पर वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। जिसे प्रतिस्पर्धात्मक बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। राज्य की भूमिका सीमित होती है। उत्पादन से लकर विपणन और मूल्य निर्धारण बाजार व्यवस्था पर निर्भर होता है। कृषि की दशा और दिशा को देखते हुए भारत सरकार ने कृ षि उत्पाद और कृषि सेक्टर में उदारीकरण की प्रक्रिया को पूर्णतया लागु नहीं किया। वही आज डब्लू.टी.ओ और विकसित देश यह दबाव बना रहे है कि भारत कृषि सेक्टर में एल.पी.जी. की नीति लागु करे। इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव व कृषि क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए सरकार द्वारा नीतिगत कदम के रूप में कृषि उत्पाद, मूल्य आश्वासन एवं असीमित भंडारण से सम्बंधित कानून पास किया जिसे उदारीकरण की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

कृषि क्षेत्र में सुधार व नीतिगत परिवर्तन के पक्ष में सरकार का तर्क है कि कृषि सम्बन्धी उत्पादों के भंडारण, व्यापार, निर्यात एवं प्रसंस्करण के ऊपर सभी प्रकार के नियंत्रण उस समय लगाये गए थे जब देश में खाद्यान संकट था। देश में भुखमरी और अकाल की स्थिति थी। परन्तु हरित क्रांति के उपरांत भारत न केवल आत्मनिर्भर हो गया, अपितु चावल–गेहूं सहित कई खाद्य पदार्थों का अग्रणी उत्पादक बनकर निर्यात भी करने लगा। आज कृषि क्षेत्र में अपार संभाव्यता है, जिसके लिए संसाधन की आवश्यकता है। भारतीय किसान संसाधन की दृष्टि से संपन्न नहीं है और आज विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है। अतः कृषि क्षेत्र में निवेश और निवेशक दोनों की आवश्कता है, जिसकी जरुरत कई दशकों से महसूस की जा रही थी। सर्वप्रथम वी. पी. सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में कृषि मंत्री चौधरी देवीलाल ने नीतिगत बदलाव की सिफारिश की थी, तत्पश्चात समय–समय पर कई संसदीय समितिया व सरकार द्वारा गठित विशेषंज्ञ समितियों (जैसे– शंकरलाल समिति, शांता कुमार समिति, स्वामीनाथन आयोग) ने नीतिगत परिवर्तन के लिए सुझाव दिये।

कृषि क्षेत्र की आवश्यकता, सुझाव और लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने नीतिगत कदम उठाते हुए सर्वप्रथम कृषकों को कृषि उत्पाद देश के किसी भी भाग में बेचनें की स्वतंत्रता प्रदान करने हेतू कृषि उत्पाद व्यापार व् वाणिज्य कानून–2020 पास किया। अब किसान बाजार का चुनाव स्वंय कर सकते है। इस कानून का विरोध इस आधार पर किया जा रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली खत्म हो जाएगी। सरकार का तर्क है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुबिधा केवल भंडारण करने वाले उत्पाद क लिए उपलब्ध है। सब्जी, फल, दूध इत्यादि जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं अभी भी बाजार पर निर्भर है। किसानों की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री ने न केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य के जारी रखने का आश्वासन दिया अपितु रबी की छह प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करके सरकार के रुख को स्पष्ट कर दिया।

कृषि क्षेत्र की अनिश्चितता और जोखिम को देखते हुए, अनुबंध कृषि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मूल्य आश्वासन कृषि सेवा कानून–2020 को विधिक स्वरुप प्रदान किया गया क्योंकि अनुबंध कृषि का स्वरुप अभी तक अलिखित था। कृषक आपसी सहमती के आधार पर फसल की कीमत तय करते हुए उसके बिक्री व निर्यात के लिए समझौता कर सकते है। किसान को फसल बोआई से पहले मूल्य की गारंटी मिल जाएगी तथा कीमत तय करने में उनकी बराबर की भूमिका होगी। वे अपना समझौता कभी भी तोड़ सकते है और इसके लिए उन्हें जुर्माना भी अदा नहीं करना होगा। विवाद की स्थिति में स्थानीय अदालतों के माध्यम से हल निकालने का भी प्रावधान किया गया है। उपरोक्त कृषि विधि का विरोध कुछ किसान संगठनो और राजनीतिक दलों द्वारा इस आशंका के आधार पर किया जा रहा है कि फसल की कीमत बड़ी कंपनियों के हित को देखते हुए किया जायेगा। विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर बड़ी कंपनिया लाभ उठाने का प्रयास करेंगी क्योंकि किसान कानूनी जटिलताओं में नहीं पड़ना चाहेगा, अतरू सीमान्त कृषकों को इस कानून से विशेष लाभ नहीं होगा।

खाद्यान वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एक और कानून आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून–2020 उद्घोषित किया। इस कानून के पश्चात खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के प्रति बड़ी व् निजी कंपनिया तथा विदेशी निवेशक आकर्षित होंगे। आधारभूत संरचना जिसमे कोल्ड स्टोरेज, भंडारण गृहों की व्यवस्था बेहतर होगी। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता आएगी तथा अनाज की बर्बादी कम हो जाएगी। इस कानून के सन्दर्भ में यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि असामान्य स्थितियों में

कीमतों में इतनी अधिक वृद्धि हो जाएगी कि आम आदमी की पहुँच में नहीं रह जाएगी तथा आवश्यक वस्तुओं के भंडारण की छूट फसलों की कीमत को कम व प्रभावित कर सकती है।

इस प्रकार कृषि क्षेत्र और कृषकों की बेहतरी के लिए बने उपरोक्त तीनों कानून का विश्लेषण किया जाए तो सरकार और कुछ किसान संगठन जहाँ इसके पक्ष में तर्क दे रहे कि इससे मंडी के समानांतर स्वतंत्र क्रय–विक्रय से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तथा वैश्विकरण के इस दौर में कृषकों और उपभोक्ता दोनों को लाभ होगा। परन्तु जो शंकाएं किसानो के मन में है, उसके विषय में एक लोकतांत्रिक सरकार का नैतिक दायित्व बनता है कि उसका समाधान वैधानिक रूप से किया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार के रूप में उपबंधित कर यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दशा में यह व्यवस्था खत्म नहीं होंगी। वर्तमान मंडी व्यवस्था को लेकर राज्य सरकारों की आशंकाओं को दूर करने के लिए न केवल मंडी व्यवस्था को जारी रखा जाए बल्कि निजी क्षेत्र की तरह ही अधिक कुशल व पारदर्शी वनाये जाए, नहीं तो पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आर्थिक शक्ति के आगे सीमान्त, गरीब असहाय किसान नहीं टिक पायेगा। अंततः यह कहा जा सकता है कि सरकार की सहायता और सुरक्षा के बिना भारतीय कृषि और कृषक, बाजार से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगे, इसलिए सरकार को कृषि क्षेत्र के उदारीकरण के साथ–साथ वैधानिक सुरक्षा भी प्रदान करनी होगी, तभी कृषि, कृषक, उपभोक्ता और बाजार सभी को लाभ और सुरक्षा मिल सकेगी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहते है कि कृषि के भविष्य पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा, कृषकों की आय बढ़ेगी और मध्यस्थ की भूमिका समाप्त होगी।

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

3

कृषि सुधार अधिनियम 2020: भारतीय कृषि एवं कृषकों का सूर्योदय

सृष्टि

शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविधयालय

कृषि आशाओं व अपेक्षाओं का व्यवसाय है। आशाओं व अपेक्षाओं पर निर्भर कृषि अपने साथ विभिन्न आयाम प्रस्तुत करती है, जिनका विश्लेषण मात्र एक परिप्रेक्ष्य स करना निम्न व संकीर्ण स्तर के विचारों का सूचक होगा। वर्तमान परिस्थितियों में भी सरकार द्वारा कृषि सुधार विधेयक के विश्लेषण को भी इसी विचार के साथ करने की आवश्यकता है। अतः शोर नहीं शोध की आवश्यकता है। वर्षों से कृषकों को उत्पादन के लिए मंडी की जटिल व्यवस्था सबसे अधिक प्रमुख समस्या रही है। इस समस्या को स्वीकार कर एक नए हस्तक्षेप की आवश्यकता थी, इसमें किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं होना चाहिए। सरकार के द्वारा नए कृषि सुधार विधेयकों को ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी बताया जा रहा है, वहीं विपक्षी दलों के द्वारा इनका विरोध किया जा रहा है। अतः देश द्वितीय हरित क्रांति की ओर अग्रसर हो रहा है। उत्पादन में कृषकों ने विभिन्न आयाम प्रस्तुत किए है, किन्तु जब बात प्रणाली व्यवस्था की आती है तो उनके साथ न्याय होता प्रदर्शित नहीं होता। मंडियों में तानाशाही, मंडियों व वैश्विक बाजारों में कृषकों की पहुँच न होना, बिचौलियों व मध्यस्थों की भ्रामकता के कारण असंख्य छोटे कृषक उन्नति व प्रोन्नति के मार्ग में पीछे छूट जाते है।

आज के समय में आवश्यक है कि कृषकों के द्वार तक बाजार को पहुंचाया जाए। कृषक अपने व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं से निर्णय ले सके कि उसकी पैदावार कहाँ जाएं व किस मूल्य पर जाएं। और यह इस परिवर्तन में सुनिश्चित किया गया। विकास के शब्दांश व शब्दावली को उस व्यक्ति विशेष के परिप्रेक्ष्य से देखने की आवश्यकता है, जिसके लिए विकास हो रहा है न कि उनके द्वारा जो विकास की शब्दावली को स्वयं के विचारों को केंद्र में रखकर प्रचारित व प्रसारित करते है।

आज कृषकों के अत्यधिक परिश्रम के कारण देश खाद्य–अधिशेष (**Food Surplus**) की स्थिति में है, परिस्थिति की मांग है कि कृषकों के लिए बाजार–अधिशेष (**Market Surplus**) की भी

उपलब्धता हो। जहां कृषक अपनी पैदावार को बेचने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो तथा उन विडंबनाओं, समस्याओं व प्रतिबंधनों से स्वतंत्र हो, जो उन्हें साहूकार व आढ़तियों के कारण सहन करनी पड़ती है। कृषकों का ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष समन्वय का होना, ग्राहकों के लिए सकारात्मक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करेगी। कृषकों के लिए ग्राम स्तर पर आधारभूत संरचना का प्रबंधन व प्रावधान कृषकों को तकनीकी स्तर से भी सशक्त करेगा।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित विभिन्न आर्थिक संगठनों के प्रतिवेदनों के अनुसार, कोविड–19 की चुनौतियों के मध्य भारत के लिए कृषि एवं ग्रामीण मंत्रालय का महत्व बढ़ गया है। तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा दर्शाए गए आकड़ों के अनुसार अप्रैल–मई 2020 में देश में सकल घरेलू उत्पाद में– 23.9 प्रतिशत की अत्यधिक गिरावट आई है। इतनी अत्यधिक गिरावट के मध्य कृषि ही एकमात्र ऐसा कार्यक्षेत्र है, जहां 3.4 प्रतिशत की वृद्धि को देखा गया। नए कृषि सुधार अधिनियमों से कृषि विकास दर में वृद्धि के साथ–साथ कृषि निर्यात की रूपरेखा में भी प्रोन्नत संभावनाएं प्रदर्शित हो रही है। इसी प्रकार, 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने "आधारभूत संरचना निधि" (**Infrastructure Fund**) के लिए एक लाख करोड़ रुपये की वित्त–पोषण सुविधा का विमोचन किया।

इससे भी कृषि व ग्रामीण विकास का एक नए अध्याय लिखा जा सकेगा, परंतु नए कृषि अधिनियमों के पश्चात ग्रामीण भारत व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के छोटे व कुटीर उद्योगों के लिए सरल व सहज ऋण की उपलब्धता भी सुनिश्चित करना होगा व कम समय में खराब होने वाले कृषि उत्पादों जैसे फलों व सब्जियों के लिए साधनों को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।

इसक अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने "किसान सम्मान निधि योजना" प्रारंभ की है, इससे देश के 12 करोड़ कृषकों को लाभ मिल रहा है। इसके अंतर्गत कृषकों को प्रत्येक वर्ष 6000 रुपये दिए जा रहे है। कृषि क्षेत्र में व्याप्त कमियों के कारण कृषकों को उनकी उपज का वास्तविक मूल्य नहीं प्राप्त हो रहा है। कृषकों को सशक्त बनाने हेतु दीर्घ–कालिक उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" जैसी योजनाओं से कृषकों की आर्थिक स्थिति को उत्तम किया जा सकता है। इसके साथ ही कृषि–क्षेत्र में नवाचार को अपनाने की भी आवश्यकता है। कृषि वैज्ञानिक फसलों की अधिक उत्पादन करने वाली व बीमारी–रहित प्रजाति विकसित करने का प्रयास कर रहे है। जिसकी सहायता से कृषि को अधिक उत्तम बनाया जा सकता है।

प्रधान सेवक का कहना है कि सरकार उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगी। वर्ष 2020 तक कृषकों की आय दोगुनी करने का वर्तमान सरकार का बड़ा लक्ष्य है। इस लक्ष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता के 75 वे वर्ष को चिह्नित किया है। स्वतंत्रता से कृषकों का अत्यधिक घनिष्ठ संबंध है। सन् 1916 में "काशी हिन्दू विश्वविधालय" के उद्घाटन समारोह में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता वकील, डॉक्टर या सम्पन्न जमीदारों के कारण नहीं, अपितु कृषकों के योगदान से संभव होगी। स्वतंत्रता के लिए गांधी जी का आंदोलन चंपारण भी कृषकों को अंग्रेजों के अन्याय से स्वतंत्र करने के लिए ही था। सरकार को आशा है कि आज के परिवेश में कृषकों को बिचौलियों से स्वतंत्र करने का वही कार्य नए विधेयक कर सकते है।

प्रायः इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है 21 शताब्दी में भारत का कृषक प्रतिबंधों में नहीं, अपितु प्रतिबंधों के अभाव में अर्थात प्रकट रूप से खेती करेगा। ऐसे में बौद्धिक समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि विरोध प्रवृति से आगे आए और हाशिए पर बैठे असंख्य कृषकों तक भ्रांतियों के स्थान पर स्पष्ट व सजग तथ्य प्रस्तुत करे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वर्तमान कृषि अधिनियम कृषकों के स्वतंत्र जीवन–निर्वाह को सुदृढ़ नींव का परिचायक होगा। अतः आगामी समय में यह अधिनियम कृषकों के समृद्ध जीवन व आत्मनिर्भर भारत की आधार–शिला बनेगा।

♦♦♦♦♦

4

कृषिक सुधारः एक नई दिशा

पंकज

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारतीय कृषि आर्थिक सुधारों के पश्चात से विभिन्न अंतर्द्वंद के दौर से गुजर रही है। प्रथम, हाल ही के आंकड़ों के अनुसार आज भी देश की लगभग 41.49 प्रतिशत श्रम शक्ति कृषि कार्य में सलंग्न है, जबकि कृषि का देश की अर्थव्यवस्था में केवल 14 प्रतिशत का योगदान है। द्वितीय, आज भी देश की लगभग 55 प्रतिशत कृष्य भूमि अपनी महत्वपूर्ण आथिक गतिविधियों के लिए मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। तृतीय देश के आथिक समुदाय का लगभग 86.2 प्रतिशत भाग छोटे और सीमांत कृषकों द्वारा संचालित है। जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि का स्वामित्व है। जिससे यह प्रदर्शित हो रहा है कि कृषि भूमि का निरंतर बिखराव हो रहा है। चतुर्थ, सामाजिक संरचना के आधार पर कृषि भूमि के वितरण पर दृष्टि डालें तो कुल कृषि भूमि का लगभग 80 प्रतिशत भाग उच्च और पिछड़ी जातियों के स्वामित्व के अधीन है, जबकि मात्र 9 प्रतिशत दलित और 11 प्रतिशत आदिवासी कृषि भूमि का स्वामित्व रखते हैं। इनमें भो अधिकतर छोटे एवं सीमांत कृषक सम्मिलित है। इस दयनीय स्थिति को देखते हुए भारतीय कृषि को रूपांतरित करते हुए नई दिशा देने की आवश्यकता है। जो मुख्यतः त्रिस्तरीय हो सकती है। प्रथम, राज्य एवं कृषि विपणन संबंध, द्वितीय तकनीक उन्मुखता, तृतीय सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन।

राज्य एवं कृषि विपणन संबंध

राज्य की कृषि विपणन नीति के प्रति व्यवहारिकता को देखा जाए तो वह मुख्य सदेंह, भेदभाव और हस्तक्षेप पर आधारित रही है। जो नियामक राज्य के स्वरूप को प्रदर्शित करती है। उदाहरण के लिए जब भी कृषक को कृषि कार्यों के लिए राज्य से ऋण की आवश्यकता होती है तो राज्य की बैंकिंग संस्थाओं द्वारा सदेंह की दृष्टि के कारण प्रायः ऋण देने से अस्वीकार कर दिया जाता है। जिसके कारण कृषक को गैर–संस्थागत ऋण लेने के लिए विवश होना पड़ता है। भारतीय राज्य का नियामक स्वरूप भेदभाव से संचालित है, जिसमें राज्य कृषि

समुदाय को उस प्रकार की सुविधा प्रदान नहीं करता है जिस प्रकार से बड़े व्यापारी घरानों को सुविधा एवं संसाधन प्रदान किए जाते हैं। अंतिम राज्य कृषि विपणन व्यवस्था में निरंतर "कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम" के अंतर्गत नौकरशाही का भ्रष्ट रूप देखने को मिलता है। यही एक मुख्य कारण है कि ''न्यूनतम समर्थन मूल्य'' का लाभ मात्र देश के 5–6 प्रतिशत कृषक ही उठा पाते है। इसलिए वर्तमानकालीन राज्य और कृषि विपणन संबंधों को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। इसलिए नियामक राज्य को सुविधा प्रदाता राज्य में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। सुविधा प्रदाता राज्य की नोति और नियत विश्वास, समानता, सामंजस्य और समन्वय पर आधारित है। जिसमें राज्य कृषि और गैर–कृषि कार्य में विभाजन पर आधारित द्विचर विचार के स्थान पर इन वर्गों और कार्यों में सहयोग को बढ़ावा देता है। नव–उदारवादी राज्य का यही स्वरूप विभिन्न देशों में देखने को मिलता है। इसी प्रकार भारतीय राज्य को भी अपनी प्रकृति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जिसमें राज्य के द्वारा कृषि विपणन व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राज्य का हस्तक्षेप कृ षि विपणन व्यवस्था में तब होना चाहिए जब इन नियमों और मानकों का उल्लंघन होने की स्थिति उत्पन्न हो। वास्तव में वर्तमानकालीन कृषि विपणन व्यवस्था में अत्याधिक राज्य की भूमिका होने के कारण नौकरशाही की लालफीताशाही को बढ़ावा मिलता है। जिसके कारण राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सीमित कृषक ही प्राप्त कर पाते है। इसलिए राज्य के स्वरूप को सुविधा प्रदाता का रूप देते हुए कृषि विपणन व्यवस्था में परिवर्तन लाना आवश्यक है।

तकनीक उन्मुखता

कृषि विपणन व्यवस्था की सफलता की दूसरी महत्वपूर्ण विचार है कि मात्र उत्पादन में ही वृद्धि न की जाए, बल्कि गुणवत्ता में भी सुधार होना चाहिए। इसके लिए समय अनुसार कृषि में तकनीकों का निरंतर विकास एवं विस्तार आवश्यक है। स्वतंत्र भारत में तकनीकी स्तर पर कृषि में प्रथम परिवर्तन 1970 के दशक में देखने को मिला। जिसमें उच्च पैदावार किस्मों, रासायनिक उर्वरकों और अत्याधिक जलदोहन पर आधारित सिंचाई को बढ़ावा दिया गया। इस तकनोकी परिवर्तन के अंतर्गत खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु यह भविष्योन्मुखी नहीं थी। इसके हानिकारक परिणाम वर्तमान समय में परिलक्षित होने लगे हैं। अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरता में कमी लाने के साथ–साथ उत्पादन की गुणवत्ता में भी भारी गिरावट और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते है। इसका

प्रमुख कारण यह है कि भारतीय कृषि पुनः से तकनीकी जड़ता का शिकार हो गई है। इसलिए इस जड़ता को तोड़ने के लिए नए तकनीकी परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके लिए बीज– खाद– पानी का नया सूत्र अपनाया जा सकता है। प्रथम बीज के स्तर पर नई किस्मों के विकास के अतंर्गत उच्च पैदावार वाली नई किस्मों को विकसित करने की आवश्यकता है जिससे उत्पादन अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सके। जैसा की हाल ही में गेहूं की नई किस्म बीएचयू 31 पूसा के द्वारा विकसित की है। जो गेहूं की पैदावार में परंपरागत किस्मों के स्थान पर 20 से 30 क्विंटल अधिक उत्पादन देती है। द्वितीय, नई जल कार्यनीति को अपनाते हुए कृषि जल व्यवस्था को नया प्रबंधकीय रूप देने की आवश्यकता है। जिसमें समष्टि स्तर पर "नदी जोड़ो परियोजना नीति" को कार्यात्मक स्वरूप देते हुए असिंचित भूमि पर भी जल उपलब्ध करवाकर उत्पादन और मानसूनी वर्षा पर कृषि कार्यों की निर्भरता को दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही व्यष्टि स्तर पर कम जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में जल प्रबंधन की नई तकनीक जैसे टपका सिंचाई, जल संचयन और कम सिंचाई वाली फसलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तृतीय, खाद और उर्वरक के स्तर पर रासायनिक खादों का प्रयोग में कमी लाना एक महत्वपूर्ण पक्ष सम्मिलित है। जिसके विकल्प में जैविक खादों का प्रयोग करके आधुनिक जैविक कृषि क्रिया को बढ़ावा दिया जा सकता है। अतः सतत और सदाबहार कृषि की अवधारणा को सिद्ध किया जा सकता है।

सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन

कृषि विपणन व्यवस्था और तकनीकी परिवर्तन का लाभ तब तक वास्तविक कृषक तक नहीं पहुंचाया जा सकता जब तक सामाजिक राजनीतिक संरचनाओं में फैली असमानता, भेदभाव और अन्याय पर आधारित व्यवस्था को लोकतांत्रिक न बनाया जा सके। जैसा कि प्राथमिक चरण में बताया गया है कि भारतीय कृषि के सामाजिक संबंधों में प्रारंभ से लेकर आज तक असमानता परिलक्षित होती है। जिससे वास्तविक कृषक को लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। भारतीय कृषि के लिए आज भी सबसे महत्वपूर्ण चुनौती इस में व्याप्त सामंतवादी संरचनाएं को तोड़ना है। जिससे कृषि भूमि अधिकार और स्त्रोत पर कुछ विशेष वर्गों का प्रभुत्व समाप्त किया जा सके। समाज के सामंतवादी रूप ने आजकल नया शोषणकारी स्वरूप धारण कर लिया है। जिसमें भूमि को ठेके (किराये) पर देने की एक नई प्रथा का जन्म हुआ है। जिसके कारण भूमि स्वामी शासकीय प्रलेखन में अपने को कृषक दिखाकर सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाता है, जबकि ठेके पर लेने वाले वास्तविक कृषक को इन सरकारी सुविधाओं का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाता।

इसलिए आज भारत सरकार की प्राथमिकता कृषि से सामंतवादी ढांचे को तोड़ने पर केंद्रित होनी चाहिए। जिससे कि कृषि लाभ का लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण वितरण किया जा सके। इसके साथ ही कृषक समुदाय को अपनी मांगों में परिवर्तन लाकर उन्हें लोकलुभावन से दूर ले जाकर कृषि एवं कृषि समुदाय के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कृषक संगठनों के द्वारा अपनी प्रमुख मांगों में "पारदर्शी विपणन व्यवस्था" की मांग को भी शामिल करना चाहिए। क्योंकि इस मांग के माध्यम से एक तरफ उनकी सरकार पर निर्भरता में कमी आएगी, वहीं दूसरी ओर आय में भी वृद्धि होगी। पारदर्शी विपणन व्यवस्था जहां कृषक के साथ–साथ कृषि उत्पादक क्रेता में भी प्रतिस्पर्धा को जन्म देगी। इससे क्रेता को गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त होगा, वही दूसरी और कृषक समुदाय को फसल का उचित मूल्य भी प्राप्त होगा। अतः इन सब कृषि सुधारों को अपनाकर भारतीय कृषि को वर्तमानकालीन दयनीय दशा से निकाल कर एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया जा सकता है।

♦♦♦♦♦

5

कृषकों की भूमि पर राजनीति की कृषि

डॉ० महेश कौशिक

अध्येता, विकासशील राज्य शोध केन्द्र, दिल्ली विश्वविद्यालय

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। तब से लेकर आज तक कृषि की दशा और दिशा दोनों को बदलने के लिए ही अनेक कानून बन चुके हैं किंतु देश का अन्नदाता जिन आर्थिक चुनौतियों से उस समय जूझ रहा था आज भी कमोबेश उसी प्रकार की चुनौतियों से दो–चार हो रहा है। किसानों को शोषण से बचाने के लिए स्वतंत्रता के बाद ही 1950 के दशक में ए.पी.एम.सी. एक्ट बनाया गया। इसके बाद 1966 में न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था लागू की गई जिससे कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक कृषि के स्वरूप में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। किंतु कृषि प्रधान देश कहलाते हुए भी पिछली आधी सदी में सरकारों में कृषि और किसानों की अवस्था को बेहतर करने के लिए कभी कोई उत्साह नहीं दिखाई दिया। जिसका परिणाम यह है कि पिछले पचास वर्षों में कृषि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनों में कोई परिवर्तन नहीं किए गए। अर्थात भारत का किसान आधी सदी से भी अधिक समय से जिन समस्याओं का सामना करता आ रहा है उनके समाधान के लिए कोई गंभीर कदम नहीं उठाए गए। इसीलिए 1950 के दशक में बनाए गए कृषि उपज विपणन समिति (ए.पी.एम.सी.) कानून हो या फिर 1966 में बनाया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून (एम.एस.पी.) हो, आज भी सभी उस पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं जबकि दुनिया भर के कृषि बाजारों के स्वरूप में और कृषि उत्पादों में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है।

सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि इन पुराने कानूनों के माध्यम से किसानों के हितों की रक्षा नहीं की जा सकती इसीलिए सभी राजनीतिक दल किसानों को इनमें सुधारों का आश्वासन प्रत्येक चुनाव में देत दे रहे हैं। 2003 में अटल बिहारी वाजपेई जी ने कृषि मंडियों की स्थिति में सुधार करने के लिए एक मॉडल कानून बनाकर के राज्य सरकारों को भेजा था किंतु राज्य सरकारों द्वारा उस में रुचि ना लेने के कारण उस पर भी कोई कार्य नहीं हो सका। पहली बार सरकार दृढ़ निश्चय के साथ इस दिशा में कार्य करने के लिए तैयार दिखाई दी और कृषि क्षेत्र

से जुड़े तीनों महत्वपूर्ण विधेयकों में वांछित परिवर्तन करने की दिशा में कदम उठाया। यह कदम अपने आप में साहसिक और ऐतिहासिक दोनों हैं। क्योंकि इससे पहले की सरकारें चाहे या ना चाह इस दिशा में कुछ भी ठोस कदम नहीं उठा सकी थी। यद्यपि सरका द्वारा बनाये गए इन कानूनों का विपक्षी दलों के साथ–साथ सरकार के ही अपने कुछ घटक दल भी विरोध कर रहे हैं। किंतु यह समस्त विरोध किसानों के आर्थिक हितों की चिंता की अपेक्षा उनके अपने राजनीतिक हितों की चिंता से उपजा हुआ प्रतीत होता है।

कृषक, कृषि और कानून

अंततः गत माह के अंत में सरकार ने जून माह में लाए गए अध्यादेश को कानून बनाते हुए कृषि क्षेत्र से संबंधित तीनों विधायकों को दोनों सदनों से पारित करके कानून का रूप दे ही दिया। इनमें से पहला है, कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयज। सरकार का उद्देश्य है किसानों को मध्यस्थों द्वारा किये जा रहे शोषण से बचाना। मंडियों पर बिचौलियों और आढ़तियों का जो एकाधिकार बना हुआ है जिसके माध्यम से वे किसानों का शोषण करते हैं उसे समाप्त किया जाए। यह कानून इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कानून के आने के बाद अब किसान अपनी उपज किसी को भी कहीं भी बेचने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे। इस कानून के विरोधियों द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसी स्वतंत्रता तो पहले भी थी, फिर इस कानून की क्या आवश्यकता थी। यह ठीक है कि किसान अपना उत्पादन पहले भी किसी को भी बेच सकता था। किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि खरीद के संबंध में यह स्वतंत्रता नहीं थी। जिसके कारण किसान लाइसेंस प्राप्त क्रेताओं को ही औने–पौने दामों पर अपना उत्पादन बेचने के लिए बाध्य था। क्योंकि किसान से कौन उसकी उपज को खरीद सकता है यह स्वतंत्र नहीं था, इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। नए कानून के बाद इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। एक प्रकार से यह कानून 'एक देश एक बाजार व्यवस्था' बनाने की ओर उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

दूसरा महत्वपूर्ण विधेयक है कृषि मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा कर विधेयक। इस कानून के माध्यम से सरकार ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने जा रही है जो किसानों के जोखिम को न्यूनतम कर सके। अब इस कानून के व्यवहार में आने के बाद किसान पहले से ही तय मानकों और मूल्य के अनुसार अपनी फसल को बेचने के लिए कोई भी अनुबंध कर सकता है। किसान द्वारा थोक विक्रेताओं या बड़े व्यापारियों से सीधे अनुबंध करने के कारण किसान को आधुनिक तकनीकी, बीमा की सुरक्षा, बाजारों की आवश्यकता का ज्ञान सरलता से प्राप्त हो सकेगा। इस

संबंध में यह आशंका जताई जा रही है कि निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां इस कानून की सहायता से मंडियों को खत्म करके बाजार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लेंगी और गिर किसानों का पहले से भी अधिक शोषण करेंगी।इस संबंध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन पुराने कानूनों के विरोध में इस नए कानून को किसान विरोधी बताया जा रहा है उन पुराने कानूनों से किसानों के हितों कितनी सुरक्षा हो पा रही थी। जो प्याज दिल्ली के थोक बाजारों में ₹40 और फुटकर बाजारों में ₹60 किलो बिकता है वह नासिक की मंडियों से किसानों द्वारा ₹5 किलो में बेचा जाता है। जो टमाटर दिल्ली मुंबई के बाजारों में 50 से ₹80 किलो के बीच बिकता है बहुत बार वही टमाटर किसानों को खेतों में फेंक देना पड़ता है क्योंकि मंडियों में बेचने से किसानों की परिवहन लागत भी वसूल नहीं हो पाती। यदि पुराने कानून किसानों के हितों की रक्षा करने में समर्थ थे तो हर वर्ष हजारों किसान किन कारणों से आत्महत्या कर रहे थे? निजी क्षेत्र के कृषि विपणन में प्रवेश से निश्चित ही किसानों को लाभ प्राप्त होंगे और वर्तमान सरकार का किसानों की आय को दोगुना करने का जो उद्देश्य ह उसकी प्राप्ति में यह कानून मील का पत्थर साबित हो सकता है।

तीसरा और महत्वपूर्ण अधिनियम है आवश्यक वस्तु अधिनियमः यह कानून दाल, आलू, प्याज, खाद्य तेल आदि कृषि उत्पादों को स्टॉक करने की सीमा में छूट देने के लिए बनाया गया। अब तक इन सब आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक करने के लिए जो निर्धारित सीमाएं तय की गई थी वह बहुत पुरानी थी और इसलिए उनके अंतर्गत यह छूट बहुत कम थी। इसी कारण से इन सब उत्पादों की कालाबाजारी होना सामान्य था। इसका दूसरा प्रभाव यह था कि निजी क्षेत्र इन वस्तुओं के स्टॉक में विपणन में कोई रुचि नहीं ले रहा था कृषि विपणन में सुधार के लिए इस नियम में परिवर्तन करना अत्यंत आवश्यक था जो कि पिछले 50 वर्षों से भी अधिक से अपरिवर्तित रूप में चल रहा था।

संशय, सुरक्षा और संभावनाः वर्तमान में सरकार द्वारा बनाए गए इन तीनों कानूनों को लेकर विपक्षी दलों द्वारा अनेक संशय जताया जा रहे हैं। एक और सरकार कह रही है कि वह इन तीनों2 कानूनों को किसान को सुरक्षा देने के लिए लेकर आई है वहीं दूसरी ओर इन कानूनों के विरोध में देश के अनेक राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे बड़ी आशंका इस बात को लेकर जताइ जा रही है कि सरकार इन कानूनों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था (डैच) को कमजोर करके धीरे–धीरे उसे समाप्त कर देना चाहती हैं। जबकि सरकार द्वारा लगातार यह आश्वासन दिया जा रहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था में किसी भी प्रकार का

कोई परिवर्तन नहीं करने जा रही है और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लगातार बढ़ा रही है। किंतु यहां यह समझने योग्य बात है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जहां गुणवत्ता के आधार पर कीमत युद्ध लड़े जा रहे हैं वहां आप कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य के कुंद हथियार से कौन सा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक युद्ध जीत पाएंगे। इसका सीधा अर्थ यह है कि जब तक भारतीय किसान अपने उत्पादों की गुणवत्ता और उनकी लागत को लेकर सजग नहीं होंगे तब तक वह अंतर्राष्ट्रीय कृषि उत्पाद बाजार में अपनी उपस्थिति नहीं बना पाएंगे और अंतरराष्ट्रीय उत्पादकों से प्रतियोगिता नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति में न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था सभी सरकारों के लिए एक लगातार बढ़ता रहने वाला बोझ बन जाएगी। तो क्या इसका अर्थ यह है कि सरकार को किसानों को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं देनी चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अमेरिका जैसा विकसित देश भी अपने किसानों को भारी मात्रा में आर्थिक सहायता प्रदान करता है तो भारत में तो अभी इसकी आवश्यकता है ही। किंतु प्रश्न उठता है कि यह आर्थिक सहायता किसानों को किस रूप में दी जानी चाहिए। आर्थिक सहायता आधारिक संरचना जिसमें विपणन व्यवस्था के विकास से लेकर श्रेष्ठ गुणवत्ता के बीज, खाद आदि की न्यूनतम मूल्यों पर उपलब्धता और तकनीकी सहायता के रूप में दी जानी चाहिए। इससे एक और कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा दूसरी ओर उत्पादन लागत भी कम होगी। परिणाम स्वरूप किसानों के लिए नई संभावनाएं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उत्पन्न होंगी। किंतु भारतीय किसानों को यह बात समझाने के लिए सरकार और किसानों के बीच की जो संवाद खाई है उसे सरकार को अपने प्रयासों से पाटना होगा। तभी किसानों में कृषि और सरकार दोनों के ही प्रति विश्वास का वातावरण पैदा किया जा सकेगा।

♦♦♦♦♦

6

देश की नवीन कृषि नीतिः क्या किसानो की आर्थिक समृद्धि संभव है?

प्रियंका बारगल

शोधार्थी, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

हितेन्द्र बारगल

सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, गुनौर, जिला पन्ना

हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, जिसकी आधे से अधिक जनसंख्या गांवों में निवास करती है, तथा अधिकतर ग्रामीण जनता कृषि तथा कृषि से संबंधित सहायक कार्यो यथा पशुपालन, मत्स्य पालन, एवं अन्य कार्यो जैसे शिल्पकार्य और ऐसे ही अन्य लघु एवं कुटीर उद्योगों में संलग्न रहती है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं, कि अगर हमें भारत देश की उन्नति करना है, एवं उसे समृद्ध बनाना है, तो गांवों को तथा गांवों के किसानों को समृद्ध बनाना होगा। कहा भी जाता है कि भारतीय कृषि, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि जहां किसानों द्वारा इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति करवाई जाती है, वहीं दूसरी ओर भारतीय उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध करवाने का महत्वपूर्ण कार्य इसी कृषि उद्योग के ही जिम्मे है, तथा आम जनता को रोजगार दिलाने में भी कृषि क्षेत्र द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया जाता है।

इस प्रकार कृषि हमारे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है, तथा किसान हमारी आर्थिक समृद्धि के एवं हमारे सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने वाले मुख्य पालनहार भी है। अतः इन किसानों की समृद्धि हमारे पूरे देश की समृद्धि ह।

सर्वविदित है, कि समय–समय पर तत्कालीन सरकार द्वारा कृषकों के कल्याण के लिए कार्य किए जाते रहे हैं, कभी किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई, तो कभी सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (जिस मूल्य पर सरकार द्वारा किसानों की उपज खरीदी जाती है, अथवा उपज खरीदने का वायदा किया जाता है) को बढ़ाने की योजनाए लाई गई। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा देश के किसानों के लिए नवीन कृषि नीति लाई गई है, जिसके अंतर्गत तीन विधेयकां का समावेश किया गया हैः–

1. कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा), विधेयक 2020

2. मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तिकरण और सरंक्षण), समझौता, 2020

3. आवश्यक वस्तु (संशोधन), 2020

हमारी सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है, जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होकर, आम जनता का कल्याण करना होता है। अतः सरकार द्वारा समय–समय पर आम जनता के लिए कई सुविधाओं की घोषणा की जाती है, नए–नए कानून लाए जाते हैं। इसी तारतम्य में वर्तमान सरकार द्वारा यह तीन विधेयक लाए गए, जिसमें प्रथम विधेयक के द्वारा यह बात रखी गई है, कि अगर किसानों को अपने गांव मे अथवा गांव के आसपास अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, तो वह अपनी फसल को अपनी मनमर्जी के अनुसार कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, इसके अलावा वह अपनी फसलों का विक्रय ऑनलाइन माध्यम के द्वारा भी कर सकता है, जिससे किसान अपनी उपज का बेहतर दाम प्राप्त कर पाये तथा अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ा सकें।

द्वितीय बिल के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने की ओर प्रयास किया गया है। पुरानी व्यवस्था या ऐसा कहना ज्यादा उचित होगा कि, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में ही, किसी भी क्षेत्र की बात की जाए, तो बिचौलियों या मध्यस्थों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, किंतु हम यह कह सकते हैं, कि इन बिचौलियों की वजह से किसी भी पक्ष को ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता वरन इन बिचौलियों का जरूर फायदा हो जाता है, और जहां तक सवाल किसानो का है, उन्हें तो इन बिचौलियों ने हमेशा से ही लूटा ह, कभी किसानों की गरीबी या मजबूरी का फायदा उठाकर या फिर उनकी अज्ञानता व निरक्षरता की वजह से। कारण कुछ भी रहा हो, अंत में मरता बेचारा किसान ही है, जो दिन–रात किसी भी मौसम में अपना खून–पसीना बहाते हुए, कड़ी मेहनत करके खाद्यान्न उत्पादन करता है, वही कुछ पैसों के अभाव में, उसी फसल को जिसे उसने अपनी कड़ी मेहनत से उगाया है, कम दामों में बेचने को मजबूर हो जाता है, तथा साहूकारों, सूदखोरों, बिचौलियों के ऋण–जाल से मुक्ति का रास्ता खोजते –खोजते अंततः आत्महत्या का ही रास्ता खोज लेता है। अतः जरूरत है, एसे कड़े कदमों की, जो इन मध्यस्थों की सीमा तय करे, तथा कृषको को उनका उचित हक दिलाएं।

तृतीय विधेयक के माध्यम से सरकार द्वारा अनाज, खाद्य तेल, आलू, प्याज को आवश्यक वस्तुओ की श्रेणी से हटा दिया गया है, अतः अब इन वस्तुओं का संग्रहण गैरकानूनी न होकर, कानूनी

हो गया है। "आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955" के द्वारा, सरकार ऐसी वस्तुओं जिनके बिना मानव ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता, की आपूर्ति, विक्रय तथा विपणन पर नियंत्रण रखती है, जिससे ऐसी वस्तुएँ उचित दाम पर मानव मात्र को उपलब्ध होती रहे। किंतु अब अगर कोई भी व्यक्ति आपदा या युद्ध तथा ऐसी ही किसी असामान्य स्थिति के अतिरिक्त इन वस्तुओ को संग्रह करके रखता है, तो उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः अब कृषक द्वारा भी अच्छी वर्षा होने या अच्छी पैदावार होने के बाद इन वस्तुओ का संग्रहण करके अच्छी कोमत का इंतजार किया जा सकता है, तथा फसलों को बढ़िया मूल्य मिलने पर ही सौदा करके अपनी आर्थिक समृद्धि बढ़ाई जा सकती है।

इसके अतिरिक्त कृषि में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का भी सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। कृषि में निवेश ज्यादा होने पर ना केवल किसानो को सभी आवश्यक कृषि–आदान जैसे कि बीज, उर्वरक, ट्रैक्टर, तथा आधुनिक मशीनें उचित कीमत पर आसानी से उपलब्ध हो पाएगी, बल्कि इन सब की सहायता से किसान द्वारा अधिक खाद्यान्न की प्रति हेक्टेयर पैदावार संभव हो पाएगी, जिसका परिणाम यह होगा, कि ना केवल देश की आबादी को भरपेट भोजन उपलब्ध हो सकेगा, साथ ही साथ अतिरिक्त खाद्यान्न का निर्यात करके बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी अर्जित हो जाएगी, तथा इस विदेशी मुद्रा से ना केवल ऋण चुकाने में मदद मिलेगी, बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी योगदान मिल सकेगा।

पुनः केवल कागजी घोड़े दौड़ाने, या हवा में बातें करने से कुछ सकारात्मक हल नहीं मिलने वाला। यह सत्य है कि, वर्तमान सरकार किसानो के विकास के लिए प्रयासरत हैं, किंतु यहां सरकार को सभी पक्षों, विशेषकर किसानो से बातचीत करते हुए, इन विधेयकों को और बेहतर बनाना चाहिए। हर जगह सुधार की गुंजाइश होती है, अतः सरकार को भी अपनी मंशा को सर्वसाधारण को समझाते हुए, इन विधेयकों की ऐसी कमियों, जिनका की विपक्ष द्वारा विरोध किया जा रहा है, अगर सरकार को उपयुक्त लगे, तो सुधारने की चेष्टा करनी चाहिए।

सरकार को आधुनिक संचार तकनीकों का प्रयोग करते हुए, किसानों के ज्ञान में और वृद्धि करनी चाहिए, तथा उन्हें इस बात का भरोसा दिलाना चाहिए, कि इन तीनों विधेयक से उनका लाभ ही होगा, और कोई आर्थिक हानि नहीं होगी।

कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग करते हुए सरकार यह पता लगा सकती हैं, कि किस प्रदेश की मिट्टी किस उपज के लिए ज्यादा फायदेमंद है, तथा अगर किसी प्रदेश विशेष मैं कोई उपज

ज्यादा हो गई हो, तो सरकार अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए, दूसरे प्रदेश के किसानों को उस विशेष फसल को उगाने से मना कर सकती है, तथा उसके स्थान पर किसी दूसरी फसल को उगाने में उनकी मदद करते हुए, फसलों में संतुलन रख सकती है, जिससे की फसलों की मात्रा में अवांछनीय वृद्धि नहीं हो सकेगी, तथा फलस्वरूप फसलों के दामों में होने वाले अत्यधिक उतार–चढ़ाव से मुक्ति मिल सकेगी, जिसका अंततः फायदा किसानो को ही प्राप्त होगा, तथा उसे वर्ष भर अपनी फसलों का उचित मूल्य प्राप्त होता रहेगा। अतः यह विधेयक भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था के साथ–साथ किसानो की भी सफलता एवं आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे, तथा हमारे देश को विकसित देशो की श्रेणी में लाने में सफल होंगे।

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

7

अहिंसा से हिंसा की ओरः भारत का कृषक वर्ग

रजनी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत की धरोहर उसकी संपत्ति प्रथम उसके शास्त्र कहे जाते है फिर भले ही वह जैन, बौध, हिंदू के हो। वहीं दूसरी धरोहर भारत की मिट्टी से उगने वाला सोना है अर्थात् फसल। जिसके माध्यम से जीवन को जीना संभव बनाया जाता है। परंतु यह परिस्थिति मुगल युग में परिवर्तित हुई पर ब्रिटिश युग में यह शोषण के उच्च स्तर पर थी। पर 1957 के बाद आने वाली पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किसानों की परिस्थिति में सुधार काने के कई भरपूर प्रयास किए गए, नेहरू जी के माध्यम से नई तकनीक का प्रयोग करने के लिए और अर्थव्यवस्था के माध्यम से किसानों की स्थ्सिति में सुधार किया जा सके उसके लिए मिश्रित व्यवस्था को अपनाया गया। पर इस विकास के बाद भी कृषकों की स्थिति दयनीय और शोषित ही रही। जिसका परिणाम किसानों की आत्महत्या में भी देखने को मिलता रहा है। परंतु इस परिस्थिति से स्वतंत्र होने के लिए सरकार के द्वारा कई कार्य किए गए और कठोर कदम उठाए गए परंतु अभी हाल ही में कृषकों के लिए जिन गतिविधियों को किया गया उसकी प्रतिकिया सकारात्मक न होकर नकारात्मक देखने को मिली, और यह हलचल संपूर्ण भारत में दिखी।

इस प्रकार की होने वाली हलचल या यों कहे की होने वाली गतिविधि में सर्वप्रमुख विपक्षी दलों के विचारों का संघर्ष के माध्यम से देखने को मिला है। यही विपक्षी दल जो लोक सभा में पारित होने वाले कृषि विधेयकों का विरोध करते दृष्टिगत हुए। लोक सभा में पारित हुए कृषि विधेयकों की संख्या तीन थी जिसे मानसून के सत्र में पास कर पारित किया गया, और पारित विधेयक से न खुश जनता और विपक्षी दलों का विरोध किया गया जिसके कई रूप देखने में मिला यहां तक की विरोध का रूप हिंसक भी किया गया। उदाहरणस्वरूप रेल रोको, बिल रोको, हिंसक प्रदर्शन इत्यादि जैसे मार्गो का प्रयोग किया गया, और ये विरोध मुख्या रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में देखने को मिले। जिसके कारण प्रे देश में विरोध का उग्र रूप भी कहीं कहीं देखने को मिला जहां लाठिया चार्ज, आंसम गैस, पानी की बौछार और गाड़ियों में लगाई गई आग, इत्यादि को माध्यम बनाया गया। परंतु प्रश्न यहां किसानों का, विधेयको का, या

सरकार का ही नहीं अपितु यहां प्रश्न अहिंसक गतिविधियों से हिंसका गतिविधियों की तरफ होने वाले रूख का है, की क्यों और कैसे भारत जैसे देश में अहिंसक गतिविधियों से हिंसक गतिविधियों का माध्यम प्रयोग में लाने लगे है।

नए कृषि बिल के अनुसारः–

चर्चा का विषय–

- संसद में पारित हुए कृषि सुधार से जुड तीनों कृषि विधेयक।
- पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित देश के कई भागों में विरोध प्रदर्शन होना।
- एनडीए सरकार की सहरोगी दल अकाली दल की नेता और केंद्रीय खाद्य संस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल का अपने पद से ही इस्तीफा देना।

भारत 1857 के बाद से भारत के कार्यरत श्रमिकों, किसानों ने जिस प्रकार से ब्रिटिश की कमर को तोड़ा जिसमें परिवर्तन गांधी युग के बाद देखने को मिला क्योंकि गांधाी जी ने कभी भी हिंसक विरोध का माध्यम नहीं अपनाया। उनके सिद्धांत कुछ इस प्रकार थे जिसे पूर्ण भारत ने अपनाया साथ ही विदशो में भी व्यवहार में प्रयोग करने का प्रयास किया गया। भारत ने प्रारंभ से ही विदेशों को ज्ञान प्रदान किया है भले ही उनके प्रयोग करने की माध्यम भिन्न हो। परंतु भारत जैसे देश ने अंहिसक गतिविधियों का प्रयोग अधिक किया है, और इन अंहिसक गतिविधियों में उनके सिद्धांत थे– सत्याग्रह और अंहिसा।

अहिंसा से तात्पर्य सक्रिय और निष्क्रिय प्रेम से है। जीवित प्राणीयों को हानि और विनाश का कारण बनने से बचना और उनकी भलाई को बढ़ावा देने से है। इसके भी इन्होंने दो रूपों को उजागर किया जिसमें पहला है–

1. अहिंसा के निष्क्रिय और नकारात्मक आयाम– जिसमें दूसरो को हानि न पहुंचाना और दूसरों को हानि पहुंचाने वाली गतिविधियों से बचना है।
2. अहिंसा का सक्रिय और सकारात्म आयाम– दूसरों के लिए प्रेम और दान, तथा प्रेम और दान के आधार पर उनकी सहायता, भलाई को बढ़ाव देना।

इस प्रकार के विचार गांधी जी ने केवल विदेशी व्यक्ति से प्रभावित होकर नहीं लिए अपितु यह पहले से ही भारत के आधार और पूंजी रहे है जिसे जैन धर्म, बौध धर्म इत्यादि में भी देखा जाता है। वहीं अन्य सिद्धांत की बात की जाए तो वह है सत्याग्रह। सत्याग्रह को दो शब्दों के

यौगिक से बनाया गया है। सत् का अर्थ है सत्य और आग्रह का अर्थ है किसी को मागंना या प्राप्त करने का प्रयास करना। इसलिए सत्य का अर्थ है सत्य को प्राप्त करना, सत्य पर बल देना या सत्य की मांग करना। इसलिए सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए दृढ़ रहना। इसे ही गाधों जी ने सत्य बल या आत्मबल कहा है। इसलिए सत्याग्रह एक संघर्ष की स्थिति में होने वाली गतिविधि का माध्यम, तकनीक है। जिसके माध्यम से सत्य की खेज होती है, और अपने विवके के लिए संघर्ष होता है। इसे अंहिसक प्रतिरोध भी कहा जाता है। गांधी जी ने मनुष्य को मूल रूप से अच्छा और दिव्य शक्ति से संपन्न देखा है। सच्चा सत्याग्रह प्रतिद्वंदी के विवके को उसके नैतिक अनुनय के लिए जागृत कर सकता है, और यह तभी संभव है जब सत्याग्रही विरोधी द्वारा अहिंसा के साथ को विरोधियों का सामना करना। पर वहीं दूसरी ओर राज्य को वह हिंसा को प्रस्तुत करने वाला साधन मानते है।

परंतु समकालीन युग का भारत 19–20 वीं शताब्दी के भारत से भिन्न देखने को मिल रहा है। जहां आज कृषक जैसे वर्ग के लोग संघर्ष और हिंसा पर आने को विवश है। कहां गया भारत का शास्त्रार्थ, जैन और बौध का धर्म जिसे भारत की धरोहर की तरह सजों कर रखा गया है। परंतु इसे कितना ही व्यवहार में लाया जाने लगा है?

प्रश्न यह है कि किसान जैसे निचले वर्ग के स्तर से संबंध रखता है, और यहां की जनता का पेट भरने और स्वास्थ वर्धक उत्पादन करने में जो कमरतोड़ संघर्ष किया जाता है उस पर क्या राजनीति करना उचित है? यदि नही ंतो क्यों आज तक चुप बैठा कृषक वर्ग कुलबुला उठा और अहिंसा से हिंसक गतिविधियों को अपनाने पर मजबूर हो रहा है? आने वाले तीनों विधेयक क्या वास्तव में कृषि विरोधी है? और किसानों का संसद की ओर विरोध करना, सरकार/राज्य के विरोध में विरोध करना कितना तार्किक है क्या आज भी गाधींवादी विचारधारा को व्यवहार में देखा जा रहा है या गाधींवादी विचारधारा केवल अब पुस्तकों तक ही सीमित होकर रह गई है।

यह यर्थाथ है की गांधी जी ने राज्य को हिंसक साधन माना है तो वहीं उन्होनें हमेंशा ही ओशियल सर्कल के सिद्धांत के माध्यम से नीचले स्तर के वर्ग को साथ में लेकर चलने की ओर बल दिया है। गाधीं ने शक्ति को नीचे से ऊपर की जाने के बात की थी जिसे वर्तमान युग में नहीं देखा जा सकता। आज का युग में कहीं न कहीं राज्य को शोषण क रूप देखने या दिखाने का प्रयास किय जाने लगा है जहां कृषक जैसा वर्ग पीड़ित और शोषित अनुभव होने के कारण अहिंसक से हिसंक गतिविधियों का माध्यम अपनाने लगे है। वहीं राज्य और पुलिस के द्वारा भी अहिंसक गतिविधियों को अपनाया जाने लगा है। परंतु इस प्रकार के नकारात्मक कार्यो पर रोक

लगना और व्यवस्था में सुधार आवश्यक है जिसे सरकार के माध्यम से ही किया जा सकता है और कृषक जैसे नीचले स्तर के वर्ग को समान रूप से समान रेखा में रखने और लाभ की दृष्टि से उनके लिए कार्य करने की आवश्यकता है जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका कृषक वर्ग के निर्णयों शामिल कर अर्थात् उनके परामर्श को प्राथमिकता देने का प्रयास करना आवश्यक है साथ ही उनके लिए क्या उचित और अनुचित है को भी स्पष्ट कर शिक्षित कर भारत को अहिंसक राज्य में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

♦♦♦♦♦

8

नव उदारवादी भारतीय कृषि बाजारः एक अवलोकन

शालिनी सिंह

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारतीय कृषि परिदृश्य ने उदारीकरण के पश्चात् के युग में एक वृहत परिवर्तन किया है। भारतीय कृषकों और कृषि दोनों ने वैश्वीकरण की शक्तियों के अनुसार अनुकूलित किया है जिन्होंने इस उद्देश्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है, नीतियों को आकार दिया है और भारतीय कृषकों और कृषि की संभावनाओं को परिवर्तित किया है। बाजार पदजमत जटिल अन्योन्याश्रय 'द्वारा शासित होता है और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से जुड़ा होता है जो कृ षि व्यापार की नींव रखते हैं। भारत सदैव से एक कृषि प्रधान देश रहा है और यह अपनी आहार आवश्यकताओं में सबसे अधिक आत्मनिर्भर देश है। जिसकी अर्थव्यवस्था का 14 प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित है, वहीं कृषि प्रम्ख व्यवसायों में से एक है जो लगभग 42 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है। जो ग्रामीण भारत के लिए एक स्तंभ के रूप में कार्य करता है जो सबसे अधिक पाए जाने वाले व्यवसायों में से एक है। इस प्रकार, यह समग्र रूप से राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जब से भूमंडलीकरण बलों के कारण बाजारों को एकीकृत किया गया है तब से भारतीय कृषि बाजार छलांग और सीमा में आकार में बढ़ गया है। 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद उदारीकरण सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के बारे में लाया, जिसने नवउदारवादी बाजार के नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया। ष्राज्य के पीछे हटनेष के रूप में संदर्भित, राज्य शासन में दुबला हो गया है। राज्य द्वारा निजी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र और विनिवेश की उपस्थिति से बाजार का संचालन किया जा रहा है। यह नागरिकों के साथ अपने ग्राहक संबंध पर काम करता है। यह बाजार कृषि बाजार इंटरफेस को परिभाषित करने के लिए भी आया है।

1960 के दशक की हरित क्रांति की प्रारंभ के साथ एक बाजार के नेतृत्व वाले कृषि प्रतिमान को प्रस्तावित किया गया। बाजार के नेतृत्व वाली शक्तियां को सुदृढ़ करने वाली भारतीय नीति नेहरूवादी प्रतिमान से प्रेरित थी, जिसने समाज को सभी समस्याओं के लिए शीघ्रता से

औद्योगिकीकरण और विज्ञान को रामबाण के रूप में केंद्रित किया। 1966 में, हरित क्रांति ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में चावल और गेहूं के उच्च उपज वाले प्रकार (HYV) के प्रवेश को चिह्नित किया। जिसके उपरांत संयंत्र प्रजनन को निजी क्षेत्र पर बल देने के लिए संकरित बीज का उत्पादन 1986 में अपने पूर्ण रूप में उभरा। हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी और सैंडोज जैसी बड़ी भारतीय कंपनियों ने विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर बीज बाजार में प्रवेश किया है। उनके पास विदेशी उद्यम कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम या खुली सहायक कंपनियां हैं। कृषि का आगत बाजार की शक्तियों द्वारा नियंत्रित किया गया था, जो बीटी फसलों के उत्पत्ति मूलक उपभेदों द्वारा आगे बढ़ गया था। उर्वरकों, भारी मशीनरी और गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग ने कृषि में व्यवसाय के रूप में बाजार को एक महत्वपूर्ण केता बना दिया। कृषक अपने बुनियादी आदानों की खरीद के लिए बाजार में एक ग्राहक बन गए, जो कभी एक मुक्त वस्तु थे।

बाजार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्योंकि कृषक को अपनी उपज उसी बाजार में बेचना पड़ता है। वह बाजार जो अब सीमाओं को उल्लंघन करता है और अधिकतर बाह्य शक्तियों द्वारा संचालित होता है। कृषक उस बाजार के विभिन्न पहलुओं में से एक बन गया। इसने बड़े कृषकों को आशाजनक अवसर प्रदान किए जो कृषि में एक पारिश्रमिक व्यवसाय के रूप में निवेश कर सकते थे। बड़े भूस्खलन वाले कृषकों ने अपनी भूमि का उत्पादन किया और एक बड़े एकीकृत बाजार और खाद्य उद्योग द्वारा लाभान्वित अधिकतम लाभ द्वारा उत्पादन किया। कृषक समुदाय का एक भाग हितधारक बन गया और कृषकों की एक सुदृढ़ समूह भी। नव उदारवादी बाजार प्रतिमान अपक्षरण के अस्तित्व को बढ़ावा देता है, और यह कृषि के लिए एक पारिश्रमिक व्यवसाय के रूप में भी सत्य है।

छोटे और सीमांत कृषक को वापस समस्याओं का सामना करना पड़ा और संकट में घिर गए हैं जिसमें घटती एजेंसी की स्वतंत्रता और क्षमता में गिरावट के कारण क्षुद्र उत्पादक पीड़ित हैं। संकट बाजार में अस्तित्व का है, और यह पिछले 30 वर्षों में बढ़ गया है। कृषक एकमात्र ऐसे उत्पादक हैं जिनके पास उत्पादक की कीमतें घोषित करने की स्वतंत्रता नहीं है। वे खुदरा में अपना माल खरीदते हैं, अपितु थोक में बेचते हैं। उन्हें अपना जीवन यापन करना पड़ता है और आधारिक वस्तुओं की ऊंची कीमतों को सहन करना पड़ता है। एक छोटे और सीमांत कृषक को ऋणग्रस्तता मं रखा जाता है और इस प्रकार निरंतर अभाव का सामना करना पड़ता है। बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और निर्माता जो अपनी आधारिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहता

है उसमें प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता में कमी पर खड़ा है। किसी भी कृषि उपज की बिक्री विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जैसे कि उस समय उत्पाद की मांग, भंडारण की उपलब्धता इत्यादि।

भारत में कृषि लागत और मूल्य आयोग, भारतीय खाद्य निगम (FCI), कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, **Jute Corporation of India** जैसे उत्पादन के विपणन को विनियमित करने के लिए भारत की सरकारी एजेंसियों को समर्पित किया गया है। कृषि राज्य का विषय होने के कारण राज्य की जरूरतों के अनुरूप विधान बनाने के लिए राज्य सरकार पर बोनस मुख्य रूप से है। कृषि उपज विपणन अधिनियम विनियमित बाजारों या 'मंडियों' की स्थापना की गारंटी दता है, जिसमें कृषक अपनी उपज को उचित मूल्य पर और पारदर्शी तरीके से बेच सकते हैं। इस अधिनियम को 1963 में लागू किया गया था अपितु इसे परिवर्तित आवश्यकताओं के साथ नए प्रकार से परिभाषित किया गया है।

कृषि उपज विपणन समिति (APMC) कृषकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई थी जिससे कि छोटे कृषक का उत्पादन भी सीधे बाजार में बिक सकें। यह अधिनियम एक सुरक्षा तंत्र बनाने के लिए था जिससे कि किसी भी कदाचार की सूचना दी जा सके और एक पारदर्शी और उचित मूल्य निर्धारण तंत्र था। यद्यपि, अप्रशिक्षित और अनजान कृषक को कर प्रणाली जटिल लगती है और इन एजेंटों द्वारा कीमतों और सौदे के कार्टेलिजेशन के इशारे पर छोड़ दिया जाता है। एजेंट उत्पादन और बिक्री के बीच बड़े स्थान पर कब्जा कर लेते हैं। इन बाजारों के ऊपर एक राज्य एकाधिकार स्थापित किया गया है क्योंकि कृषकों को खुले बाजार में अपना माल बेचने की अनुमति नहीं है। उत्पादक उपभोक्ता से लाभान्वित होता है और लाभ से रहित होता है। एपीएमसी में इस तरह का प्रतिबंधात्मक व्यापार कृषक के लिए समृद्धि के लिए कठिन बनाता है। छोटे और सीमांत कृषकों में भारत के सभी कृषकों का 86.2 प्रतिशत शामिल है और छोटे कृषि अधिशेष, खरीद केंद्र की दूरी, जटिल नौकरशाही प्रक्रिया जैसे कारकों के हाथों पीड़ित हैं।

वैश्वीकरण ने मुक्त व्यापार को जन्म दिया है, इसलिए कृषकों को बाजार के बाहरी क्षेत्रों से बचाना अनिवार्य है। सरकारों ने कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित करके कृषकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाए हैं। यह आपूर्ति में भिन्नता, बड़े पैमाने पर मानसून, बाजार एकीकरण की कमी, सूचना विषमता और कृषि बाजार को नुकसान पहुंचाने वाले बाजार की अपूर्णता के अन्य तत्वों से प्रभावित कीमतों के बारे में कृषकों को अनुचित उतार–चढ़ाव से प्रेरित

करता है। जैसा कि एमएसपी की प्रभावकारिता पर रिपोर्ट द्वारा सुझाव दिया गया था। एमएसपी के कामकाज में बाधा डालने वाले विभिन्न कारक थे– उच्च परिवहन लागत, चूंकि खरीद केंद्र दूर की दूरी पर स्थित थे, उनकी फसलों की योजना बनाने में देरी या अपर्याप्त होने क कारण इसे कम कीमतों पर बेचना या कोई जानकारी न होना था अन्य एक और प्रमुख कारक उपज का देर से भुगतान है।

कृषकों के निचले स्तर की बिगड़ती हालत के कारण कृषि नीति बनाने में मुख्य ध्यान दिया गया है। फसलों के बीमा के लिए कृषक क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री बीमा बीमा योजना, उचित सिंचाई सुविधाओं के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना और लघु और सीमांत कृषकों की पेंशन के लिए प्रधानमंत्री कृषि मंडी योजना ने एक सुरक्षा जाल प्रदान करने की कोशिश की है। ये कदम एक सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करते हैं और कृषक के अधिकारों को बनाए रखते हैं। हाल ही में दुनिया भर में **COVID-19** लॉकडाउन में नकारात्मक रूप से इसे देखा गया है। कृषक और कृषि सबसे मुश्किल विषय थे। भारतीय कृषि प्रणाली को खंडित मांग और आपूर्ति श्रृंखला, श्रम और उपकरणों की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सरकार की विभिन्न तात्कालिक कदमों से आवश्यक आपूर्ति की निर्बाध आपूर्ति को बनाए रखने के लिए कृषि व्यवसाय संचालन में एक सुसंगत प्रवाह बना रहा। इस महामारी ने कृषि नीति और उनकी संभावनाओं की जांच करने की आवश्यकता को फिर से बहाल कर दिया है। बाजार कृषकों की सुविधा के लिए है न कि विकास को बाधित करने के लिए। डिजिटल प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग आपूर्ति श्रृंखला और एक समस्या मुक्त परस्पर बाजार के लिए किया जा सकता है। वास्तविक समय मूल्य की जानकारी और बेहतर बाजार पूर्वानुमान कृषकों को अपनी बिक्री की योजना बनाने और वित्त प्रबंधन में सहयोग कर सकते हैं। सरकार को समानता के एक अग्रदूत के रूप में कार्य करना है और सभी स्तरों के कृषकों के लिए एक स्तर बनाना है। भारतीय कृषि को एक पारिश्रमिक और पुरस्कृत व्यवसाय के रूप में देखा जाना चाहिए। एक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना होगा जो न केवल कृषि को एक व्यवसाय के रूप में बनाए रखे बल्कि युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करे। बाजार में संविदा के नियमों और कृषि चक्र में विनिमय की परस्पर प्रक्रियाओं में सुधार किया जाना चाहिए। स्थानीय अर्थव्यवस्था को व्यापार की अंतर्राष्ट्रीय नियमों के फलने–फूलने के लिए नहीं तोड़ा जा सकता है।

♦♦♦♦♦

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केन्द्र

अकादमिक अनुसंधान केन्द्र भवन

गुरू तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली–110007

www.dcrc.du.ac.in office@dcrc.du.ac.in @dcrcofficial +91-11-27666281